

## अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - सिवान मौजा लखनपुर, थाना नं०- 24।

पूरब - खेसरा नं० 1252 अंश, 1253 अंश, 1254 अंश, 1261 अंश, 1263 अंश, 1266 अंश, 1280 अंश, 1281 अंश, 1282 अंश, 1289 अंश, 1290 अंश, 1293 अंश, 1292 अंश, 1291 अंश, 1539 अंश, 1540 अंश, 1543 अंश, 1548 अंश, 1549 अंश, 1550 अंश, 1568 अंश, 1571 अंश, 1572 अंश, 1573 अंश, 1574 अंश, 1576 अंश, 1577 अंश, 1587 अंश, 1588 अंश, 1589 अंश, 1626 अंश, 1627 अंश, 1629 अंश, 1630 अंश, 1631 अंश, 1633 अंश, 1636 अंश, 1637 अंश, 1716 अंश, 1717 अंश, 1718 अंश, 1706 अंश, 2408 अंश, 2406 अंश, 2405 अंश, 2404 अंश, 2391 अंश, 2390 अंश, 2389 अंश, 2386 अंश, 2385 अंश, 2383 अंश, 2381 अंश, 2380 अंश, 2362 अंश, 2361 अंश, 2360 अंश, 2359 अंश, 2513 अंश, 2514 अंश, 2515 अंश, 2508 अंश, 2512 अंश, 2510 अंश तथा 2511 अंश।

दक्षिण - मौजा कर्ण कुदरिया चादर नं० 2।

पश्चिम - खेसरा नं० 1073 अंश, 1081 अंश, 1149 अंश, 1246 अंश, 1242 अंश, 1223 अंश, 1224 अंश, 1225 अंश, 1226 अंश, 1222 अंश, 1218 अंश, 1216 अंश, 1215 अंश, 1220 अंश, 2021 अंश, 1922 अंश, 1920 अंश, 1919 अंश, 1918 अंश, 1917 अंश, 1926 अंश, 1830 अंश, 1912 अंश, 1910 अंश, 1909 अंश, 1908 अंश, 1884 अंश, 1883 अंश, 1868 अंश, 1867 अंश, 1866 अंश, 1865 अंश, 1864 अंश, 1745 अंश, 1725 अंश, 1720 अंश, 2254 अंश, 2255 अंश, 2257 अंश, 2258 अंश, 2259 अंश, 2260 अंश, 2263 अंश, 2264 अंश, 2265 अंश, 2233 अंश, 2266 अंश, 2267 अंश, 2273 अंश, 2276 अंश, 2278 अंश, 2357 अंश, 2355 अंश, 2358 अंश, 2576 अंश, 2516 अंश, 2519 अंश, 2520 अंश, 2521 अंश, 2522 अंश, 2524 अंश, 2525 अंश, 2535 अंश, 2534 अंश तथा 2535 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, स्लेटो, या अन्य खान या खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खान या खनिजों की केवल वे भाग जिन्हे कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो ले लिए जाएंगे।

इस अधिघोषणा को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। जिनका इससे संबंध है।

इस भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



201—  
सरकार के अवर सचिव  
बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/13/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।